निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

तारीख दायरा: 20.04.2025

प्रकरण संख्या :74/2012

उनवान

बबूलाल आत्मज अमरा जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — वादी

बनाम

1. रामकरण आत्मज अमरा जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट 1955

दिनांक :— 31/10/2025

उपस्थित :—

श्री बाबूलाल अरविन्द (वकील वादी)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील प्रतिवादी)

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता हस्तगत वाद में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि —

- वादी एवं प्रतिवादी नं.1 सगे भ्राता हैं। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व भंवरी बेवा अमरा जो वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 की माता थी, के सम्मिलित खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम लबानिया पटवार क्षेत्र लबानिया तहसील सांगोद में जमाबन्दी सख्यां नई 52 पुरानी 60

की खसरा नं. 405 की 0.18 हैक्टर, ग्राम हनुवतखेडा तहसील सांगोद की जमावन्दी संख्या नई 29 पुरानी 30 की खसरा नं. 165 की 0.44 हैक्टर, खसरा नं. 166 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 167 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 168 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 169 की 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 170 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 171 की 0.50 हैक्टर, खसरा नं. 186 की 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 218 की 0.16 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 1.99 हैक्टर की आराजी स्थित है।

- उक्त वर्णित अराजीयात की खातेदार भंवरी वेवा अमरा का दिनांक 19.8.2011 को स्वर्गवास हो चुका है इसलिए उक्त आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी नं.1 रामकरण का प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 द्वारा विवादित आराजियात का आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन कर लिया था तथा पारिवारिक विभाजन मुताबिक वादी के हिस्से में अन्य आराजियात के साथ आराजी खसरा नं. 171 में काफी पैसा खर्च कर ट्यूबवैल व सबमर्सिबल मोटर लगाई है, जिससे वादी अपने हिस्से में आई आराजियात को खसरा नं.166 की 0.01 हैक्टर चाह एवं खसरा नं. 171 की आराजी में लगाये ट्यूबवैल से आराजी का सिचिंत करता आ रहा है।
- वादी शान्ति प्रिय व्यक्ति है तथा प्रतिवादी नं. 1 लडाकू झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है। प्रतिवादी नं. 1 आये दिन वादी के 1/2 हिस्से की आराजी को भी काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने लगा है तथा वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 के सम्मिलित खाते की आराजी खसरा नं. 166 की 0.01 में स्थित चाह व विधुत मोटर, विधुत कनेक्शन से वादी को उसके 1/2 हिस्से की आराजी को सिंचित करने में भी बाधा उत्पन्न करने लगा है।
- ऐसी स्थिति में वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह विवादित आराजियात का विभाजन कराकर उक्त आराजी में स्थित वादी के 1/2 हिस्से की आराजियात को अलग से वादी के खाते दर्ज कराकर अलग से राज लगान अकंन करावे। साथ में खसरा नं. 166 की 0.01 हैक्टर में स्थित चाह के वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 के सम्मिलित खाते दर्ज करावे तथा वादी के 1/2 हिस्से की आराजी में प्रतिवादी नं. 1 किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे तथा खसरा नं. 166 की 0.01 हैक्टर में स्थित कुंए मोटर व विधुत कनेक्शन से वादी को उसके हिस्से की आराजियात को सिंचित करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। ऐसा न तो स्वंय प्रतिवादी नं. 1 ही करे और ना ही अपने किसी नौकारों ऐजेन्टो से ही करावे।

- अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी नं. 1 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात की सहखातेदार भंवरी बेवा अमरा के स्वर्गवास हो जाने से उक्त आराजीयात से भंवरी बेवा अमरा का नाम खारिज फरमाया जावे तथा माल ग्राम लबानिया पटवार क्षेत्र लबानिया तहसील सांगोद में जमाबन्दी सख्यां नई 52 पुरानी 60 की खसरा नं. 405 की 0.18 हैक्टर, ग्राम हनुवतखेडा तहसील सांगोद की जमाबन्दी संख्या नई 29 पुरानी 30 की खसरा नं. 165 की 0.44 हैक्टर, खसरा नं. 166 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 167 की 0. 05 हैक्टर, खसरा नं. 168 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 169 की 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 170 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 171 की 0.50 हैक्टर, खसरा नं. 186 की 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 218 की 0.16 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 1.99 हैक्टर की आराजी का वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 की बीच विभाजन किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से की आराजी को अलग से वादी के खाते दर्ज कर अलग से राज लगान अकंन फरमाये जावे तथा खसरा नं. 166 की 0.01 हैक्टर की आराजी को वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 के सम्मिलित खाते दर्ज करावे। साथ ही इस आशय की स्थाई निषेघाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे कि विवादित आराजी में से वादी के 1/2 हिस्से की आराजियात में प्रतिवादी नं. 1 किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे तथा वादी की खसरा नं.166 की 0.01 हैक्टर की आराजी में लगी ट्यूबवैल विधुत मोटर एवं विधुत कनैक्शन से वादी के हिस्से की आराजियात को सिंचित करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। ऐसा न तो स्वयं प्रतिवादी नं. 1 ही करे और ना ही अपने किन्हीं नौकरों व एजेन्टों से करावे।
- वादपत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा वकालतनामा मय जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 द्वारा विवादित आराजी का आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन सन् 1987 में कर लिया था। वादग्रस्त आराजियात कुल किता 8 रकबा 1.83 मौके पर एक ही चक के रूप में विधमान है, जिसके मुताबिक पारिवारिक विभाजन अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में उत्तरी तरफ की पूर्व से पश्चिम आराजी हिस्से में आई थी एवं वादी के हिस्से में पूर्व से पश्चिम दक्षिण की तरफ की आराजी हिस्से में आई थी। खसरा सं. 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 की आराजी मौके पर एक ही चक के रूप में है एवं खसरा नं. 218 में दक्षिणी तरफ 1/2 हिस्सा आराजी प्रतिवादी

क्रम 1 के हिस्से पारिवारिक विभाजन अनुसार हिस्से में आई थी एवं उत्तर की 1/2 हिस्सा आराजी वादी के हिस्से में आई थी एवं खसरा नं. 166 की आराजी गैर मुमकिन चाह शामलाती होना स्वीकार है। परन्तु कनेक्शन व मोटर प्रतिवादी के हिस्से में आई है। एवं यह भी तय हुआ था कि वादी यदि अलग से मोटर डालकर चाह में से पानी ले तो प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं होगा। खसरा नं. 171 के आये हिस्से में वादी द्वारा ट्यूबवैल खुदवाया जाना स्वीकार है, परन्तु 171 खसरा नं का आधा हिस्सा उत्तरी तरफ का प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में आया है अर्थात उपरोक्त वर्णितानुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 पारिवारिक विभाजनानुसार करीब 27–28 वर्ष से काबिज काश्त होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उक्त आराजी का उपयाग उपभोग कर रहा है। लबानियां ग्राम की खसरा नं0 405 की 0.18 हैक्टर आराजी भी प्रतिवादी ही काश्त कर रहा है।

- प्रतिवादी एक शान्ति प्रिय व कर्मशील कृषक है, जो अपनी हिस्सा आराजी पर पूर्ण मेहनत व परिश्रम कर अपने हिस्सा आराजी का उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी प्रतिवादी क्रम 1 की शान्ति प्रियता में बाधक बना हुआ है। वादी अपने पुत्रों की संगठित शक्ति के आधार पर बदनियत पूर्वक प्रतिवादी क्रम 1 की हिस्से आराजी पर जबरन मदाखलत मजाहमत करने के प्रयास में रहता है। जबकि वर्षो पूर्व से वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य विभाजन होकर आराजी पर मेड बन्दी हो रही है। प्रतिवादी को पूर्व में हल्की जमीन हिस्से में दी थी, इसलिए करीब 1 बीघा जमीन प्रतिवादी के हिस्से में पारिवारिक विभाजन अनुसार ज्यादा आई थी। जिसे प्रतिवादी ने काफी पैसा खर्च कर मौके पर उपजाऊ बनाया गया है। प्रतिवादी की हिस्से के पास खसरा नं. 404 व 118 की आराजी जो राजस्व रेकार्ड मे सरकार के नाम दर्ज है। पर प्रतिवादी ट्रेस पासर हैं एवं उक्त सरकारी जमीन का जुर्माना नियमित रूप से अदा करता है। इस कारण मौके पर देखने में प्रतिवादी के हिस्से में ज्यादा आराजियात नजर आती है। इसके कारण वादी बदयान्ति पूर्वक प्रतिवादी के हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। खसरा नं. 166 की आराजी कनेक्शन विधुत प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में आया है। वादी अलग से कनेक्शन लेकर खंसरा नं. 166 किस्म चाह से अपनी आराजी को सिंचित करे, इसमें प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।
- प्रतिवादी क्रम 1 वादग्रस्त आराजी की खाते राजस्व रेकार्ड में विभाजन कराने में सहमत है, परन्तु पूर्व मदों में वर्णितानुसार पारिवारिक विभाजन के अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम

1 के हिस्से में आराजी का विभाजन किया जावे एवं राजस्व लगान का भी अंकन किया जावे। इसमें प्रविवादी पूर्णतः सहमत है एवं खसरा नं. 166 की आराजी वादी व प्रतिवादी के सम्मिलित हिस्से में दर्ज रहे, इसमें भी प्रतिवादी पूर्णतः सहमत है एवं पारिवारिक विभाजनानुसार हिस्से में आई आराजियात पर वादी किसी प्रकार की मदाखलत नहीं करे। खसरा नं. 166 की आराजी में स्थित चाह कुआं पर वादी अलग से विधुत कनेक्शन लेकर अपनी आराजी की सिंचित करे। लबानियां की खसरा नं. 405 की 0.18 हैक्टर वर्षो पूर्व प्रतिवादी विभाजननुसार काश्त करता रहा है।

- अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवदेन है कि राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी के खाते में प्रथक प्रथक आराजी व राजस्व लगान दर्ज कर खाते विभाजन कर दिये जावे।, इसमें प्रतिवादी क्रम 1 की पूर्ण सहमति है। परन्तु खाते विभाजन पारिवारिक विभाजन अनुसार सन् 1987 से चली आ रही मौके पर आपसी सहमति अनुसार एवं काबिज काश्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में हिस्से दर्ज कर दिये जावे, जिसके मुताबिक प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में खसरा नं. 165, 166, 167,168, 169, 170, 171 जो मौके पर एक ही चक में है, उत्तरी तरफ की पूर्व से पश्चिम की आराजी हिस्से में दर्ज की जावे एवं शेष आराजी वादी के हिस्से में दर्ज की जावे। इसी प्रकार खसरा नं. 218 की दक्षिणी तरफ की आराजी प्रतिवादी के हिस्से में दर्ज की जावे एवं उत्तरी तरफ की 1/2 हिस्सा आराजी वादी के हिस्से में दर्ज की जावे।
- उक्त जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वाद पत्र में वर्णित आराजी माल ग्राम लबानिया पटवार क्षेत्र लबानिया तहसील सांगोद में जमाबन्दी सख्यां नई 52 पुरानी 60 की खसरा नं. 405 की 0.18 हैक्टर, ग्राम हनुवतखेडा तहसील सांगोद की जमाबन्दी संख्या नई 29 पुरानी 30 की खसरा नं. 165 की 0.44 हैक्टर, खसरा नं. 166 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 167 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 168 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 169 की 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 170 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 171 की 0.50 हैक्टर, खसरा नं. 186 की 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 218 की 0.16 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 1.99 हैक्टर आराजी का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के बीच विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्सा आराजी को अलग से वादी के खाते दर्ज कर अलग राज लगान अंकन कराने का अधिकारी है।

– वादी

2. आया ख.न. 166 की 0.01 है आराजी को वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के सम्मिलित खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। – वादी

3. आया विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर मदाखलत मजामहत नहीं करने तथा ख. न. 166 की 0.01 है. भूमि में स्थित चाह विद्युत कनेक्शन विद्युत मोटर वादी के हिस्से की आराजी को सिंचित करने में प्रतिवादी व्यवधान पेदा नहीं करें। – वादी

4. आया ख.न. 166 की आराजी में कनेक्शन प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आया है। – प्रतिवादी सं. 1

5. आया ख.न. 405 की 0.18 है. की आराजी प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की होने से प्रतिवादी सं. 1 काबिज होकर काश्त कर रहा है। – प्रतिवादी सं. 1

6. आया ख.न. 218 की दक्षिणी तरफ की आराजी प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में तथा उत्तरी तरफ की 1/2 हिस्सा वादी के हिस्से दर्ज कराने का अधिकारी है। – प्रतिवादी सं. 1

7. सहायता

- इसके उपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए –

  1. प्रदर्श 1 – वाद पत्र
  2. प्रदर्श 2 – माल ग्राम लबानिया संवत 2065–2068 की जमाबंदी
  3. प्रदर्श 3 – माल ग्राम हनुवतखेडा संवत 2065–2068 की जमाबंदी

- इसके उपरान्त पत्रावली जिरह साक्ष्य वादी में नियत की गई। दौराने जिरह साक्ष्य द्वारा अवगत करवाया गया कि मेरे द्वारा जो वाद पेश किया गया है वो पहले भी किया होगा जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैनें जमीन के बंटवारे का दावा माननीय न्यायालय में पेश किया था। मेरे द्वारा माल ग्राम लबानिया एवं हनुवतखेडा की आराजी का वाद पेश किया है। में अनपढ हूँ, मैं नहीं बता सकता कि कौन से ख.न. एवं खाता सं. हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, जो भी ख.न. एवं खाता सं. है दावे में संलग्न है। मैं अनपढ हूँ इसलिए जमाबंदी देख कर भी नहीं बता सकता कि कौन सा ख.न. है। मैनें न्यायालय में साक्ष्य हेत शपथ पत्र पी डब्ल्यू 1 पेश किया है जिसमें क्या लिखा है मुझे जानकारी नहीं है। जिस जमीन के बंटवारे का दावा मैंने पेश किया है उसका पूर्व में कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है। ख.न. 166 चाह में जो कनेक्शन है वो विद्युत कनेक्शन मेरी सहमति से ही

हुआ है। जो ट्यूबवेल विवादित भूमि में मेरे द्वारा लगवाई गई है उसमें प्रतिवादी सं. 1 रामकरण की सहमति नहीं थी। मैंने शुरू में प्रतिवादी रामकरण को भी मेरी ट्यूबवेल से पानी दिया था। वर्तमान में मैं प्रतिवादी रामकरण को अपनी ट्यबवेल से पानी देने पर तैयार नहीं हूँ, उसने अलग से अपना ट्यूबवेल लगवा लिया है। ग्राम लबानिया की ख.न. 405 रकबा 0.18 है. को अभी प्रतिवादी रामकरण जबरदस्ती हांक रहा है। मैं वर्तमान में ग्राम हनुवतखेडा की आराजी हांक रहा हूँ जिसके ख.न. क्या है मुझे पता नहीं है। ग्राम हनुवतखेडा की आराजी जो एक ही चक में है उसको हम उगणि आथन्नी दिशा में हांकते हैं। समस्त आराजी शामलाती है, प्रतिवादी जबरदस्ती हांक लेता है। यह साक्ष्य शपथ पत्र मैंने किस तारीख को दिया मुझे याद नहीं है।

- साक्ष्य वादी की जिरह समाप्त होने के उपरान्त पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 की ओर से किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इस कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा बहस की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र, प्रदर्श कराए गए दस्तावेजों के आधार पर वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस जवाब दावे में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा जवाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया।
- मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर पत्रावली का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है –

1. आया वाद पत्र में वर्णित आराजी माल ग्राम लबानिया पटवार क्षेत्र लबानिया तहसील सांगोद में जमाबन्दी सख्यां नई 52 पुरानी 60 की खसरा नं. 405 की 0.18 हैक्टर, ग्राम हनुवतखेडा तहसील सांगोद की जमाबन्दी संख्या नई 29 पुरानी 30 की खसरा नं. 165 की 0.44 हैक्टर, खसरा नं. 166 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 167 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 168 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 169 की 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 170 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 171 की 0.50 हैक्टर, खसरा नं. 186 की 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 218 की 0.16 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 1.99 हैक्टर आराजी का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के बीच विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्सा आराजी

को अलग से वादी के खाते दर्ज कर अलग राज लगान अंकन कराने का अधिकारी है। — वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार कोई सहखातेदार शामलाती आराजी में निहित स्वयं के हिस्से का विधिवत विभाजन कराकर पृथक से राज लगान अंकन कराने का अधिकारी होता है। वादी उक्त तनकी को सिद्ध करने में सफल रहा। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया ख.न. 166 की 0.01 है आराजी को वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के सम्मिलित खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। — वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है। ख.न. 166 की 0.01 है आराजी वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के सम्मिलित खाते में दर्ज है। खसरा नं. 166 की आराजी वादी व प्रतिवादी सं.1 के सम्मिलित हिस्से में दर्ज रहे, इसमें भी प्रतिवादी सं.1 द्वारा जवाब दावे के माध्यम से पूर्णतः सहमति दी गई है। ऐसी स्थिति में यह तनकी की वादी के पक्ष में नियत की जाती है।

3. आया विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर मदाखलत मजामहत नहीं करने तथा ख. न. 166 की 0.01 है. भूमि में स्थित चाह विद्युत कनेक्शन विद्युत मोटर वादी के हिस्से की आराजी को सिंचित करने में प्रतिवादी व्यवधान पैदा नहीं करें। — वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है। विवादित आराजी वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी सं.1 के सम्मिलित खाते की आराजी है। ऐसी स्थिति में किसी एक काश्तकार को विधिवत विभाजन के पूर्व किसी हिस्सा विषेश पर मदाखलत मजामहत से निरूद्ध किया जाना न्याय संगन प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर ख.न. 166 की 0.01 है. भूमि में स्थित चाह विद्युत कनेक्शन विद्युत मोटर वादी के हिस्से की आराजी को सिंचित करने में सहमति व्यक्त की गई है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

4. आया ख.न. 166 की आराजी में कनेक्शन प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आया है। — प्रतिवादी सं. 1

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर है। ख.न. 166 की आराजी पर स्थित विद्युत कनेक्शन के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ज्ञात हो सके कि विद्युत कनेक्शन किसके नाम पर दर्ज है। शामलाती आराजी में किसी सहखातेदार को विद्युत विभाग द्वारा

जारी किया गया विद्युत कनेक्शन व्यक्तिगत होता है जिस पर समस्त सहखातेदार का अधिकार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विद्युत कनेक्शन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष इस स्तर से दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

5. आया ख.न. 405 की 0.18 है. की आराजी प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की होने से प्रतिवादी सं. 1 काबिज होकर काश्त कर रहा है। — प्रतिवादी सं. 1

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर है। ख.न. 405 की 0.18 है. की आराजी राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के शामलाती खाते की आराजी है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त भूमि को स्वयं काबिज होकर काश्त किया जाने का कथन किया गया है परन्तु अपने कथन के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। शामलाती आराजी का विधिवत विभाजन कराए बिना कोई एक सहखातेदार कानूनन किसी खसरा विषेश आराजी का पूर्ण अधिकारी नहीं होता है। प्रतिवादी सं. 1 इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहा। अतः यह तनकी प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

6. आया ख.न. 218 की दक्षिणी तरफ की आराजी प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में तथा उत्तरी तरफ की 1/2 हिस्सा वादी के हिस्से दर्ज कराने का अधिकारी है।
— प्रतिवादी सं. 1

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ख.न. 218 की दक्षिणी तरफ की आराजी स्वयं के हिस्से में तथा उत्तरी तरफ की 1/2 हिस्सा वादी के हिस्से दर्ज कराने का अनुतोष चाहा गया है। उक्त विभाजन पर वादी द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव रेवेन्यु नियम 18 से 21 के अनुसार अथवा सहमति होने पर मौके पर कब्जा काश्त की स्थित अनुसार तैयार करने के उपरान्त ही विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जावेगा। अतः यह तनकी भी प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

प्रकरण में भंवरी बेवा अमरा की मृत्यु उपरान्त उसके हिस्से की आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज करने हेतु अनुतोष चाहा गया है, परन्तु वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सिद्ध हो सके कि मात्र वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ही भंवरी के विधिक वारिसान है।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने, प्रकरण का तनकीवार विवेचन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि —

माल ग्राम लबानिया पटवार क्षेत्र लबानिया तहसील सांगोद में जमाबन्दी सख्यां नई 52 पुरानी 60 की खसरा नं. 405 की 0.18 हैक्टर, ग्राम हनुवतखेडा तहसील सांगोद की जमाबन्दी संख्या नई 29 पुरानी 30 की खसरा नं. 165 की 0.44 हैक्टर, खसरा नं. 166 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 167 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 168 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 169 की 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 170 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 171 की 0.50 हैक्टर, खसरा नं. 186 की 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 218 की 0.16 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 1.99 हैक्टर आराजी में से वादी की माता भंवरी का नाम मृत्यु हो जाने के कारण हटाया जावे। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के अतिरिक्त मृतक भंवरी के अन्य विधिक वारिसान होने की स्थिति में उनका नाम व हिस्सा नियमानुसार रेकार्ड में दर्ज किये जाने के उपरान्त विवादित आराजी में समस्त काश्तकारों की सहमति से मौके पर काबिज काश्त की स्थिति अनुसार एवं चकबन्दी के नियमों को ध्यान में रखकर यथासंभव एक पक्षकार को एक जगह रखते हुए अन्यथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से पृथक से दर्ज कर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमीश्नर फीस 200 रूपये मुकर्रर की जाती है। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव रेवेन्यु नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया

जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द प्राथमिक डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या :74 / 2012 तारीख दायराः 20.04.2025

उनवान

बबूलाल आत्मज अमरा जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. रामकरण आत्मज अमरा जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट 1955

दिनांक :– 31/10/2025

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल अरविन्द (वकील वादी)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बाबूलाल अरविन्द मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम लबानिया पटवार क्षेत्र लबानिया तहसील सांगोद में जमाबन्दी सख्यां नई 52 पुरानी 60 की खसरा नं. 405 की 0.18 हैक्टर, ग्राम हनुवतखेडा तहसील सांगोद की जमाबन्दी संख्या नई 29 पुरानी 30 की खसरा नं. 165 की 0.44 हैक्टर,

खसरा नं. 166 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 167 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 168 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 169 की 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 170 की 0.25 हैक्टर, खसरा नं. 171 की 0.50 हैक्टर, खसरा नं. 186 की 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 218 की 0.16 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 1.99 हैक्टर आराजी में से वादी की माता भंवरी का नाम मृत्यु हो जाने के कारण हटाया जावे। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के अतिरिक्त मृतक भंवरी के अन्य विधिक वारिसान होने की स्थिति में उनका नाम व हिस्सा नियमानुसार रेकार्ड में दर्ज किये जाने के उपरान्त विवादित आराजी में समस्त काश्तकारों की सहमति से मौके पर काबिज काश्त की स्थिति अनुसार एवं चकबन्दी के नियमों को ध्यान में रखकर यथासंभव एक पक्षकार को एक जगह रखते हुए अन्यथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से पृथक से दर्ज कर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमीश्नर फीस 200 रूपये मुकर्रर की जाती है। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव रेवेन्यु नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/10/2025 को जारी की गई।

मोहर .....

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	....	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....						
मीजान	....			मीजान	....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद